[2021] 12 एस. सी. आर. 28

ई एस कृष्णमूर्ति और हमारा।

बनाम

मेसर्स भारत हाई टेक बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

(2020 की सिविल अपील संख्या 3325)

14 दिसंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ए एस बोपन्ना, जे जे]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: एस. 7 – वित्तीय लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत -

तथ्यों पर, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थियों को 33 करोड़ रुपये की राशि का पुनः भुगतान करने में चूक की-याचिका यू/एस। 7 प्रत्यर्थियों के खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा स्थापित-न्यायनिर्णायक प्राधिकरण-NCLT याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और प्रतिवादी को तीन महीने के भीतर सभी शेष दावों का निपटान करने का निर्देश दिया-अपीलीय प्राधिकरण द्वारा खारिज की गई अपील के खिलाफ-राष्ट्रीय कंपनी कानून

अपीलीय न्यायाधिकरण-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश और जारी किए गए निर्देशों को अधिकार क्षेत्र के त्याग का सामना करना पड़ा-न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपनी शर्तों के बाहर काम किया क्षेत्राधिकार यू/एस। 7 (5) - न्यायनिर्णायक प्राधिकारी किसी पक्ष को किसी विवाद का निपटारा करने के लिए अपने समक्ष की कार्यवाही के लिए मजबूर नहीं कर सकता है-आई. बी. सी. द्वारा इस तरह की कार्रवाई पर विचार नहीं किया जाता है-जबकि, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण निपटान को प्रोत्साहित कर सकते हैं, वे उन्हें निष्पक्षता की अदालतों के रूप में कार्य करके निर्देशित नहीं कर सकते हैं-न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को केवल यह सत्यापित करने का अधिकार है कि क्या चूक हुई है या नहीं-इसके आधार पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को तब या तो एक आवेदन स्वीकार करना चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए-ये केवल दो कार्रवाई के तरीके हैं जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए एस के अनुसार खुले हैं। 7 (5) – इसके अलावा, अपीलीय प्राधिकरण ने यह देखते हुए एक अंतर करने की कोशिश की कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्देश प्रवेश से पहले के चरण में थे, और यह कि आदेश ऐसी प्रकृति का नहीं था जो हितधारकों के अधिकारों और हितों के लिए प्रतिकूल था-साथ ही, प्रत्यर्थियों द्वारा अपीलकर्ताओं के साथ समझौता नहीं किया गया है-यह अवलोकन कि अपील बनाए रखने योग्य नहीं थी, गलत है-एन. सी. एल. ए. टी. और एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया-कार्यवाही को नए सिरे से विचार के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को वापस कर दिया जाएगा।

28 ई. एस. कृष्णमूर्ति और हमारा। वी. मेसर्स भारत हाई टेक बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

एस. 7 – निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया-न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की शक्तियों का दायरा और अधिकार क्षेत्र - चर्चा की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 की धारा (1) वित्तीय लेनदार को फाइल करने में सक्षम बनाती है।

निगमित ऋणदाता के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया-सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए एक आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण "जब कोई चूक हुई हो"। द.

अभिव्यक्ति 'डिफ़ॉल्ट' को आई. बी. सी. की धारा 3 (12) में परिभाषित किया गया है। डिफ़ॉल्ट विज्ञापन की परिभाषा ऋण का भुगतान न करने के लिए है, जब यह देनदार या कॉर्पोरेट देनदार द्वारा पूरे या आंशिक रूप से देय और देय हो जाता है। चूँकि "चूक" की परिभाषा में "ऋण" अभिव्यक्ति शामिल है, इसलिए आई. बी. सी. की धारा 3 (11) के तहत बाद की अभिव्यक्ति की परिभाषा का विज्ञापन करना आवश्यक है। इस प्रकार, एक "ऋण" को एक देयता या एक दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है।

किसी भी व्यक्ति से देय दावा। इसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं। यदि उपरोक्त मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो वित्तीय लेनदार आवश्यक शुल्क के साथ निर्धारित तरीके से धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत आवेदन कर सकता है। उप-धारा (3) वित्तीय लेनदार से, अन्य बातों के साथ-साथ, सूचना उपयोगिता या ऐसे अन्य के साथ चूक का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की अपेक्षा करती है। अभिलेख या चूक का साक्षय जो आवेदन के साथ निर्दिष्ट किया जा सकता है। उप-धारा (4) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को, उप-धारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर, किसी सूचना उपयोगिता के रिकॉर्ड से या अन्य जानकारी के आधार पर चूक के अस्तित्व का पता लगाना चाहिए।

उप-धारा (3) के तहत वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत। [पैरा 21,22] [49-बी-एच]

1.2 धारा 7 की उप-धारा (5) दो भागों में शामिल है: खंड (क), जो पहला भाग है, न्यायनिर्णायक को अधिकार देता है।

आवेदन को स्वीकार करने का प्राधिकरण जहां यह संतुष्ट हो कि: (i) चूक हुई है; (ii) उप-धारा (2) के तहत आवेदन पूरा हो गया है; और (iii) प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है; खंड (ख), जो दूसरा भाग है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार देता है जहां उसका समाधान होता है कि: (i) डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है; [2021] 12 एस. सी. आर.

या (ii) उप-धारा (2) के तहत आवेदन अधूरा है; या (iii) प्रस्तावित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है।

समाधान पेशेवर। उप-धारा (7) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अपने स्वीकृति या अस्वीकृति के आदेश को वित्तीय लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार या वित्तीय लेनदार को, जैसा भी मामला हो, सूचित करना होता है। उप-धारा (6) के अनुसार, सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया प्रवेश की तारीख से शुरू होती है।

उप-धारा (5) के तहत आवेदन। इस प्रकार, 180 दिनों की अवधि के भीतर (धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत, उप-धारा (3) के तहत और विस्तार के अधीन) सी. आई. आर. पी. को पूरा करने की समय सीमा प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन के प्रवेश की तारीख से शुरू होती है। [पैरा 23] [50-ए-डी]

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की शक्ति का उल्लेख करते हुए "यह, आदेश द्वारा" अभिव्यक्ति। उप-धारा (5) के खंड (ए) में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, आदेश द्वारा, आवेदन को स्वीकार कर सकता है या खंड (ख) वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए कार्रवाई के दो पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

धारा 7 के तहत याचिका। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को या तो उप-धारा (5) के खंड (ए) के तहत आवेदन स्वीकार करना चाहिए या उसे उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत आवेदन को अस्वीकार करना चाहिए। कानून न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए प्रावधान नहीं करता है

कोई अन्य कार्रवाई करें, लेकिन उपलब्ध दो विकल्पों के लिए। [पैरा 24] [50-ई-एफ]

1.4 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने नोट किया कि उसने विभिन्न तिथियों पर प्रवेश के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया था और अन्य बातों के साथ-साथ इसे स्थगित कर दिया था ताकि पक्षकारों को समझौते की संभावना का पता लगाने की अनुमति मिल सके। जाहिर है, सभी मूल द्वारा कोई समझौता नहीं किया गया था

याचिकाकर्ता जिन्होंने कार्यवाही शुरू की थी। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने देखा कि उसके समक्ष संयुक्त सहमति की शर्तें दायर की गई थीं। लेकिन यह सामान्य आधार है कि इन सहमति की शर्तों में उन सभी मूल याचिकाकर्ताओं को शामिल नहीं किया गया था जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष थे। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि 140 निवेशकों के दावों का प्रतिवादी द्वारा पूरी तरह से निपटारा कर दिया गया है। प्रत्यर्थी ने यह भी नोट किया कि के दावों में

मूल याचिकाकर्ता जिन्होंने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, ई. एस. कृष्णमूर्ति और ओ. आर. एस. का रुख किया है।

वी. मेसर्स भारत हाई टेक बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

केवल 13 को निपटाया गया है, जबकि इसके अनुसार "40 निपटान की प्रक्रिया में हैं और 39 निपटान लंबित हैं"।

अंततः न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इस आधार पर याचिका पर विचार नहीं किया कि आई. बी. सी. के तहत प्रक्रिया है

सारांश, और यह व्यक्तिगत घर खरीदारों के प्रत्येक दावे का प्रबंधन या निर्णय नहीं ले सकता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने यह भी माना कि चूंकि निपटान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी

एक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है। अपने निर्णय के आधार पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को तब या तो एक आवेदन को स्वीकार करना चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए। ये कार्रवाई के केवल दो पाठ्यक्रम हैं जो धारा 7 (5) के अनुसार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए खुले हैं। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण बाध्य नहीं कर सकता है किसी विवाद को निपटाने के लिए उसके समक्ष कार्यवाही में पक्षकार। [पैरा 27] [53-ए-बी]

1.6 निस्संदेह, बस्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि आई. बी. सी. का अंतिम उद्देश्य सुविधा प्रदान करना है

निगमित देनदार की निरंतरता और पुनर्वास, जो उसे परिसमापन में जाने की अनुमति देने से अलग है। जैसा कि विधेयक को पेश करने के साथ उद्देश्यों और कारणों का विवरण इंगित करता है, आई. बी. सी. का उद्देश्य परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए "समयबद्ध तरीके से" दिवाला समाधान की सुविधा प्रदान करना है। क्या बात? हालाँकि, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण तत्काल मामले में अपने अधिकार क्षेत्र [2021] 12 एस. सी. आर. का त्याग करने के लिए आगे बढ़े हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.7 आई. बी. सी. अपने आप में एक पूर्ण कोड है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण क़ानून के अंग हैं। उनका अधिकार क्षेत्र वैधानिक रूप से प्रदान किया गया है। क़ानून जो अधिकारिता प्रदान करता है, ऐसी अधिकारिता के दायरे की संरचना, दिशा और घेराबंदी भी करता है। इस प्रकार, जबकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण निपटान को प्रोत्साहित कर

सकते हैं, वे समानता के न्यायालयों के रूप में कार्य करके उन्हें निर्देशित नहीं कर सकते हैं। [पैरा 29] [53-एफ]

1.9 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश और जो निर्देश अंततः जारी किए गए, वे अधिकार क्षेत्र के त्याग से पीड़ित थे। अपीलीय प्राधिकरण ने यह देखते हुए एक अंतर करने की मांग की कि न्यायनिर्णायक के निर्देश प्राधिकरण 'प्रवेश-पूर्व चरण' में था, और यह कि आदेश

ऐसी प्रकृति का नहीं था जो हितधारकों के अधिकारों और हितों के लिए प्रतिकूल हो। अपीलीय प्राधिकरण था इस तथ्य से अवगत हैं कि निपटान के लिए समय सारिणी भी जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इंगित की गई थी, बीत चुकी थी, लेकिन फिर प्रत्यर्थी सहित अचल संपत्ति बाजार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को नोट किया। यह स्वीकार करते हुए कि सहमति की शर्तें "कुछ हितधारकों द्वारा दायर की गई थीं, हालांकि सभी व्यापक नहीं हो सकती हैं", अपीलीय प्राधिकरण ने फिर भी अपील को विचारणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। यह अवलोकन कि अपील विचारणीय नहीं थी, गलत है। स्पष्ट रूप से, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ई. एस. कृष्णमूर्ति और ओ. आर. एस.

वी. मेसर्स भारत हाई टेक बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

उसे सौंपे गए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा। इस प्रकार अपील में अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए एक स्पष्ट मामला बनाया गया था, जिसे अपीलीय प्राधिकरण तब प्रयोग करने में विफल रहा।

[पैरा 32] [55-जी-एच; 56-ए-सी]

1.10 चूंकि कार्यवाहियों को नए सिरे से विचार के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को वापस करने का झुकाव है, इसलिए इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी अन्य पहलू पर ध्यान दे, सिवाय इसके कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ याचिका के निपटारे में रखरखाव या गुण-दोष के अन्य मुद्दों पर निर्णय लिए बिना। इसे सभी अधिकारों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है और

पक्षकारों की दलीलें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए और उन पर निर्णय लिया जाना चाहिए। एन. सी. एल. ए. टी. और एन. सी. एल. टी. के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। धारा 7 के तहत याचिका को नए सिरे से निपटाने के लिए एन. सी. एल. टी. को बहाल कर दिया गया है। [पैरा 33,

34] [56 - डी-एफ]

मनीष कुमार बनाम। भारत संघ (2021) 5 एस. सी. सी. 1; एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट (पी) लिमिटेड v. की स्थिति

कर्नाटक (2020) 13 एस. सी. सी. 308: [2019] 17 एस. सी. आर. 559; इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। आईसीआईसीआई बैंक (2018) 1 एससीसी 407 [2017] 8 एससीआर 33; प्रताप टेक्नोक्रेटस (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम। रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड की निगरानी समिति और एक अन्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 569; स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और ओआरएस। (2019) 4 एससीसी 17: [2019] 3 एस. सी. आर. 535; अरुण कुमार जगतरामका बनाम। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (2021) 7 एससीसी

474 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 17 एससीआर 559

पैरा 16 (i)

संदर्भित किया गया है

[2017] 8 एससीआर 33

पैरा 16 (ii)

(ए)

संदर्भित किया गया है

पैरा 16 (iii)

(ई)

[2019] 3 एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

(2021) 5 एससीसी 1

पैरा 16 (वी)

संदर्भित किया गया है

(2021) 7 एस. सी. सी. 474

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.3325

2020 . 2020 के कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.649 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के दिनांकित 30.07.2020 के निर्णय और आदेश से।

सृजन सिन्हा, हिमांशु चौबे, सुश्री पारुल धुर्वे, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री आकांक्षा नेहरा, संदीप बजाज, सोइब कुरैशी, सुश्री.

संग्या गुप्ता, सिद्धार्थ शुक्ला, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. स्वीकार करें।

2. दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 1 की धारा 62 के तहत वर्तमान अपील राष्ट्रीय न्यायालय के एक फैसले से उत्पन्न हुई है।

कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण 2 दिनांक 30 जुलाई 2020, जिसने अपनी बेंगलुरु पीठ में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण 3 के 28 फरवरी 2020 के आदेश को बरकरार रखा।

3. एक याचिका पर जो अपीलकर्ताओं (और अन्य) द्वारा आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत निगमित दिवाला शुरू करने के लिए शुरू की गई थी।

एनसीएलटी का आदेश। 4. इस न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए जो मुद्दा उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या आई. बी. सी. के प्रावधानों के संदर्भ में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 7 के तहत याचिका के गुण-दोष पर अपना दिमाग लगाए बिना, केवल इस आधार पर याचिका को खारिज कर सकता है कि निगमित देनदार ने वित्तीय लेनदारों के साथ निपटान की प्रक्रिया शुरू की है।

1 " आई. बी. सी. "2" एन. सी. एल. ए. टी./"अपीलीय प्राधिकरण"

" एन. सी. एल. टी./न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

4 सी. पी. (आई. बी.) नं. 188 / बीबी/2019 5 "सी. आई. आर. पी". 6 2020 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 649 ई. एस. कृष्णमूर्ति और ओ. आर. एस.

वी. मेसर्स भारत हाई टेक बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

5. मामले की उत्पत्ति 'बेचने के लिए एक प्रमुख समझौते' से होती है जो प्रतिवादी, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप लिमिटेड और कार्वी रियल्टी (इंडिया) लिमिटेड के बीच 22 जून 2014 को 100 एकड़ कृषि भूमि के विकास के लिए Rs.50 करोड़ की राशि जुटाने के लिए किया गया था। मास्टर एग्रीमेंट की शर्तों के तहत, सुविधा एजेंट को एकमुश्त राशि के भुगतान के बदले संभावित खरीदारों को भूखंड बेचना था। तब प्रत्यर्थी को सालाना 25 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता थी। खरीदार, मास्टर समझौते के तहत। यह कहा गया है कि मुख्य समझौते को आगे बढ़ाते हुए नौवें अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा विकसित की जा रही परियोजना में एक भूखंड आवंटित किया गया था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी यह बताने के लिए बाध्य था कि

और मुख्य समझौते के निष्पादन की तारीख से 21 महीने के भीतर (यानी 21 मार्च 2016 तक) नौवें अपीलार्थी को भूखंड पंजीकृत करें।

6. चूँकि इसके माध्यम से आवश्यक धनराशि उत्पन्न नहीं की जा सकी

मुख्य समझौता, एक सिंडिकेट ऋण समझौता, प्रत्यर्थी, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप लिमिटेड और सुविधा एजेंट के बीच 22 नवंबर 2014 को संभावित ऋणदाताओं से 18 करोड़ रुपये के सावधि ऋण का लाभ उठाने के लिए किया गया था। ऐसे संभावित ऋणदाताओं को पालन विलेख निष्पादित करके धन उधार देना था। ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार, प्रत्यर्थी को इसके लिए जुटाई गई धनराशि का उपयोग करना था।

अपनी परियोजना में प्रस्तावित आवासीय लेआउट का विकास करना और इसे मूलधन पर 20 प्रतिशत वार्षिक की दर से एक सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान करना था।

राशि। इसके अलावा, ऋण की अवधि ऋण समझौते के निष्पादन से 24 महीने होनी थी, और चूक की स्थिति में, प्रतिवादी हर महीने के लिए एक प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज देने के लिए उत्तरदायी था।

7. अपीलार्थियों का मामला यह है कि वर्ष 2015-2016 के दौरान, अपनी सहयोगी संस्था (कार्वी प्राइवेट वेल्थ) के माध्यम से कार्य करने वाले सुविधा एजेंट ने अपने ग्राहकों को प्रतिवादी को ऋण देने की सलाह दी। याचिकाकर्ताओं का दावा

कि उन्होंने (नौवें अपीलार्थी को छोड़कर), कई अन्य लोगों के साथ, सुविधा अभिकर्ता और उसकी सहयोगी संस्था की सलाह पर कार्य करते हुए प्रत्यर्थी को सावधि ऋण दिया। इस प्रकार, पालन के आवश्यक विलेखों पर हस्ताक्षर किए गए। अपीलार्थियों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि

7 " मास्टर एग्रीमेंट "8" सुविधा एजेंट "9" ऋण समझौता "

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऋण समझौता, प्रत्यर्थी ने ऋण की पहली किश्त में लगभग 300 निवेशकों से 15 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए। 8. 29 फरवरी 2016 के एक पत्र द्वारा, एन. सी. एल. टी. के समक्ष याचिका में मूल याचिकाकर्ताओं में से एक को संबोधित किया गया था जिसे एक आवंटित किया गया था

मुख्य समझौते के तहत, प्रतिवादी ने भूखंडों को पहुँचाने के लिए 31 अक्टूबर 2016 तक समय बढ़ाने की मांग की। यह आरोप लगाया गया है कि अपने पत्र में, प्रत्यर्थी ने वचन दिया है कि 31 अक्टूबर 2016 तक भूखंडों को देने में विफल रहने की स्थिति में, जो पूरी राशि का भुगतान किया गया था, उसे मास्टर एग्रीमेंट में ही सहमत ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा।

9. इसके अलावा, 30 नवंबर 2016 को, प्रत्यर्थी के बारे में कहा जाता है कि उसने ऋण समझौते की अवधि बढ़ा दी है, क्योंकि वह ऐसा करने में कथित रूप से असमर्थ है।

ब्याज के साथ मूल राशि वापस कर दें। प्रत्यर्थी पर यह भी आरोप है कि उसने ऋण अवधि को 12 महीने के लिए बढ़ाने की मांग की है, इस आश्वासन के साथ कि मूल राशि को 13वें, 14वें और 15वें महीने में तीन समान किश्तों में चुकाया जाएगा।

10. हालाँकि, 26 अप्रैल 2019 को, इस न्यायालय के समक्ष 17 अपीलकर्ताओं में से 11 ने (72 अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ) के तहत एक याचिका दायर की।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आई. बी. सी. की धारा 7, उत्तरदाता द्वारा रुपये 33,84,32,493 की राशि का पुनः भुगतान करने में चूक के कारण।

प्रत्यर्थी का अनुरोध, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने एक और मंजूरी दी प्रत्यर्थी को उसके समक्ष याचिकाकर्ताओं के साथ विवाद को निपटाने का अवसर। 27 फरवरी 2020 को, प्रतिवादी ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक ज्ञापन दायर किया जिसमें कहा गया कि वह 140 ई. एस. कृष्णमूर्ति और ओ. आर. एस. के साथ एक समझौते पर पहुंच गया है।

वी. मेसर्स भारत हाई टेक बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

12. आखिरकार, 28 फरवरी 2020 के अपने आदेश द्वारा, एन. सी. एल. टी. ने याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने नोट किया कि "दोनों विद्वान वकीलों ने दिनांक 12.02.2020 पर संयुक्त सहमति शर्तें दायर की हैं।" हालाँकि, यह स्वीकार किया जाता है कि इन सहमति की शर्तों पर प्रतिवादी द्वारा न्यायनिर्णायक से पहले केवल एक याचिकाकर्ता के साथ समझौता किया गया था।

प्राधिकरण, और सभी याचिकाकर्ताओं (अपीलार्थियों सहित) के साथ नहीं। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि

" बाद में उन्होंने लगभग 140 लेनदारों के दावों का निपटारा किया और

प्रत्यर्थी के वकील ने "विभिन्न अन्य लेनदारों और ग्राहकों" के दावों को निपटाने के लिए उठाए गए कदमों का संकेत देते हुए एक ज्ञापन भी दायर किया। इस पृष्ठभूमि में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने कहा:

" 6. यह विवाद में नहीं है कि कॉर्पोरेट देनदार नेक इरादे से विचाराधीन निपटारे की संभावना तलाश रहा है और परियोजना पूरी होने के अग्रिम चरण में है, और यदि कंपनी को सी. आई. आर. पी. के तहत रखा जाता है, तो सभी घर खरीदारों के साथ-साथ अन्य लेनदारों का हित खतरे में पड़ जाएगा। वह आगे प्रस्तुत करता है कि निगमित देनदार याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ अन्य लेनदारों के शेष दावों को एक समय सीमा के भीतर निपटाने के लिए सभी कदम उठा रहा है। निपटारा किए गए और शेष मामलों की संख्या दिखाने वाली सूचियाँ दायर की गई हैं।

7. यह कानून की एक तय स्थिति है कि संहिता के तहत इस प्रक्रिया को संक्षिप्त प्रकृति का माना जाता है, और यह व्यक्तिगत घर खरीदारों के प्रत्येक मामले का प्रबंधन या निर्णय नहीं ले सकता है। व्यक्तिगत मामलों की सूचियों को रिकॉर्ड पर रखा गया है जो दर्शाता है कि 140 निवेशकों को कॉर्पोरेट देनदार द्वारा पूरी तरह से निपटाया गया है और रु। उन्हें 27.25 करोड़ का भुगतान किया गया है। 13 हमारे समक्ष दावों/याचिकाकर्ताओं का निपटारा कर दिया गया है, 40 निपटान की प्रक्रिया में हैं और 39 का निपटान लंबित है। इस प्रकार की प्रक्रिया

ऐसा प्रतीत होता है कि समझौता पूरी गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। इसके बजाय

सभी व्यक्तिगत दावों की विस्तार से जांच करते हुए, हम कॉर्पोरेट देनदार को एक निश्चित चूने की सीमा के भीतर सभी शेष दावों का ईमानदारी से निपटान करने का निर्देश देकर तत्काल मामले का निपटारा करना चाहेंगे। "[2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस प्रकार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने निम्नलिखित कारकों के आधार पर याचिका का निपटारा करने का निर्णय लिया: ((i) विवाद को निपटाने के लिए प्रत्यर्थी के प्रयास प्रामाणिक थे, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि वे पहले ही 140 निवेशकों के साथ समझौता कर चुके थे, जिनमें 13 याचिकाकर्ता भी शामिल थे; (ii) 40 अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ निपटान प्रक्रिया चल रही थी; (iii) आई. बी. सी. के तहत प्रक्रिया संक्षिप्त प्रकृति की थी, और इसका उपयोग उसके समक्ष 83 याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक के मामले को व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित करने के लिए नहीं किया जा सकता था।

और (iv) प्रत्यर्थी के संबंध में सी. आई. आर. पी. की शुरुआत घर खरीदारों और लेनदारों के हितों को खतरे में डाल देगी, जिन्होंने प्रत्यर्थी की परियोजना में निवेश किया है, जो पूरा होने के अग्रिम चरण में थी। याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

" ए। निगमित देनदार को शेष दावों का जल्द से जल्द निपटान करने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन 3 महीने के बाद नहीं, और इस निर्णय को सभी संबंधित पक्षों को सूचित किया जाता है।

बी। यदि निगमित ऋणदाता की निपटान प्रक्रिया से व्यथित हैं, तो शेष याचिकाकर्ता, यदि कोई हैं, तो कानून के अनुसार फिर से इस न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

13. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश को मूल याचिकाकर्ताओं में से 7 द्वारा एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील में चुनौती दी गई थी, जिनमें से सभी इस न्यायालय के समक्ष भी अपीलकर्ता हैं, साथ ही कुछ अन्य आवंटी जो एन. सी. एल. टी. के समक्ष मूल याचिकाकर्ता नहीं थे। इसके आक्षेप द्वारा

30 जुलाई 2020 के फैसले में, अपीलीय प्राधिकरण ने इस प्रकार टिप्पणी करते हुए अपील को खारिज कर दिया:

" 3. यह स्पष्ट है कि आई एंड बी संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन का निपटारा प्रवेश से पहले के चरण में किया गया था और दावों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था जो निश्चित रूप से एक आवास परियोजना से संबंधित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस तथ्य से प्रभावित हुआ है कि अधिकतम हितधारकों के दावों का निपटारा किया गया है, जिसमें कुछ दावे शामिल हैं जिन्हें स्वीकार करने से पहले निपटाया गया था।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष चरण। जहाँ तक शेष दावों का संबंध है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अनुमति दी

निश्चित समय सीमा अर्थात। 3 दावेदार (ओं) को स्वतंत्रता देने वाले महीने जिनके दावे दिए गए समय की समाप्ति के बाद अस्थिर रहेंगे

समय सीमा, वापस आने और मामले को फिर से आंदोलन करने के लिए।

ई एस कृष्णमूर्ति और हमारा। वी. मेसर्स भारत हाई टेक बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

4. इन परिस्थितियों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि विवादित आदेश ऐसी प्रकृति का है जो किसी भी हितधारक के अधिकारों और हितों के लिए प्रतिकूल है। दावेदार (ओं) जो असंतुष्ट हो सकते हैं या जिनके दावे दी गई समय सीमा के दौरान अस्थिर रहते हैं, वे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं जिसने अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। आक्षेपित आदेश को लागू करना

अभी तक दावे का निपटारा नहीं किया गया है। यह विवादित नहीं है कि दावों से संबंधित विवादों, विशेष रूप से आवास परियोजनाओं में आवंटनकर्ताओं के विवादों के समाधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और निगमित ऋणदाता को परिसमापन में धकेलना ही अंतिम विकल्प होगा। 6. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए और यह भी ध्यान में रखते हुए कि प्रवेश से पहले के चरण में शुरू की गई निपटान प्रक्रिया कुछ लोगों द्वारा दायर सहमति शर्तों द्वारा समर्थित है।

हितधारक, हालांकि यह सभी समावेशी नहीं हो सकते हैं, यह अपील

झूठ नहीं बोलेंगे। हम तदनुसार मानते हैं कि अपील नहीं है

बनाए रखने योग्य। विवादित आदेश में कोई कानूनी दुर्बलता नहीं होने के कारण,

अपील खारिज कर दी जाती है। "

अपीलीय प्राधिकरण का अपील को खारिज करने और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश को बरकरार रखने का निर्णय इस प्रकार निम्नलिखित पर आधारित था:

विचार: (i) एन. सी. एल. टी. ने धारा 7 के तहत याचिका को 'प्रवेश से पहले के चरण' में ही खारिज करने का फैसला किया, क्योंकि निपटान प्रक्रिया चल रही थी; (ii) एन. सी. एल. टी. ने सभी अपीलार्थियों के अधिकारों की रक्षा की / याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी द्वारा निपटारे के लिए एक समय-सीमा निर्धारित करके, और उनके दावों के मामले में उनसे संपर्क करने का विकल्प खुला छोड़ कर

अनिर्णित रहे; (iii) जबकि निपटान की समय सीमा समाप्त हो गई थी, कोविड के प्रभावों के कारण प्रतिवादी को नरमी दिखानी पड़ी

19 व्यवसायों पर महामारी; और (iv) इस प्रकृति के विवादों में, घर खरीदारों के दावों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और प्रतिवादी को अंतिम उपाय के रूप में परिसमापन में नहीं धकेला जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. एन. सी. एल. ए. टी. के 30 जुलाई 2020 के निर्णय और आदेश में कहा गया है -

अब विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई-जिनमें से कुछ एन. सी. एल. टी. के समक्ष मूल याचिकाकर्ता थे और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील में गए, कुछ जो सीधे एन. सी. एल. टी. के समक्ष अपील में शामिल हुए, कुछ जो एन. सी. एल. टी. के समक्ष मूल याचिकाकर्ता थे लेकिन एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील में शामिल नहीं हुए और अन्य जो पहली बार इस न्यायालय के समक्ष कारण में शामिल हुए हैं। एक सारणीबद्ध प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

इससे पहले की स्थिति

पहले
की स्थिति

पहले की स्थिति

नाम

एस. नं.

अदालत

ए
नसीएलटी

एनसीएलएटी

ब्रिगेडियर ई. एस. कृष्णमूर्ति प्रथम अपीलार्थी

1

अपीलार्थी

याचिका
कर्ता

अपीलार्थी

याचिका
कर्ता

धवानी निशीथ संघवी

| दूसरा अपीलार्थी

2

तीसरा अपीलार्थी

अपीलार्थी

कृति मिलिंद रांका

याचिका
कर्ता

3

चौथा अपीलार्थी

अपीलार्थी

याचिका

कर्ता

मैरी थेरेस लीमा

4

फर्नांडीस

पाँचवाँ अपीलार्थी

याचिका

कर्ता

नितिन दिनकर पालेकर

अपीलार्थी

5

छठा अपीलार्थी

6

सुनील जैन

अपीलार्थी

याचिका

कर्ता

सातवां अपीलार्थी

अपीलार्थी

याचिका

कर्ता

7

भुपेश डिंजर

आठ अपीलार्थी

अपीलार्थी

बतुला सतीश

पार्टी

नहीं

8

नौवां अपीलार्थी

पार्टी

नहीं

शशि अरोड़ा

अपीलार्थी

9

दसवाँ अपीलार्थी

गंगासागर नेमिनाथ

पार्टी नहीं

याचिका

कर्ता

10

हेमड।

ग्यारहवाँ अपीलार्थी

पी. वी. लक्ष्मीनारायण

पार्टी नहीं

याचिका

कर्ता

11

बारहवाँ अपीलार्थी

शैला एस कोठारी

पार्टी नहीं

पार्टी नहीं

12

तेरहवाँ अपीलार्थी

नेममारा राजू दोराई

पार्टी नहीं

पार्टी नहीं

13

महादेवन

चौदहवाँ अपीलार्थी

मयांक गुप्ता

पार्टी नहीं

पार्टी नहीं

14

पंद्रहवाँ अपीलार्थी

मंजुश्री बसु

पार्टी नहीं

याचिका कर्ता

15

सोलहवाँ अपीलार्थी

मधुर वी. लिमये

याचिका

कर्ता

पार्टी नहीं

16

दीपांकर कांजीलाल

सत्रहवाँ अपीलार्थी। पक्षकार नहीं

पार्टी

नहीं

17

अपील के दौरान, दो मामले भी हुए हैं

आवेदन 1 0 10 दस व्यक्तियों द्वारा कार्यवाही में शामिल करने की मांग जिन्हें अपीलार्थियों के लिए समान रूप से रखा गया है। इनमें से कुछ व्यक्ति एन. सी. एल. टी. के समक्ष मूल याचिकाकर्ता भी थे।

15. हमने अपीलार्थियों के वकील श्री सृजन सिन्हा को सुना है।

और प्रत्यर्थी की वकील सुश्री आकांक्षा नेहरा।

16. अपीलार्थियों की ओर से मुख्य चुनौती इस पर है -

इसका आधार है:

10 12021 का 0 आई. ए. सं. 4783 और 2021 का आई. ए. सं. 97193 आई. एस. एच. एन. ए. एम. यू. आर. टी. आई. और ओ. आर. एस.।

वी. मेसर्स भारत हाई टेक एस. पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आई. बी. सी. के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे से परे काम किया है, और इस प्रकार उनके आदेशों को दरकिनार किया जाना चाहिए क्योंकि वे गैर-न्यायिक थे। रिलायंस को रखा गया है

एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट (पी) लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर। इस प्रस्ताव के समर्थन में कर्नाटक राज्य;

विवादित आदेश धारा के अधिदेश के विपरीत हैं। 7 आई. बी. सी. इस आधार को निम्नानुसार आग्रह करके प्रमाणित करने की कोशिश की गई है:

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश और

(अ)

अपीलीय प्राधिकरण सिद्धांतों के विपरीत हैं

इस न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित

यह अभिनिर्धारित किया है कि याचिका पर विचार करते हुए धारा 7, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को केवल खुद को संतुष्ट करना होगा कि क्या कोई चूक हुई है। इस प्रकार, धारा 7 (5) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को केवल दो विकल्प प्रदान करती है-धारा 7 (5) (ए) के तहत प्रवेश आदेश पारित करना या धारा के तहत याचिका को अस्वीकार करना।

7 (5) (बी)। इस प्रकार, जब तक कि ऋण देय नहीं हो गया है या किसी कानून द्वारा बाधित नहीं किया गया है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 7 के तहत एक याचिका स्वीकार करनी चाहिए;

(ख)

मान लीजिए, वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने जैसा कि में समझा गया है एक डिफ़ॉल्ट कार्य किया

आईबीसी की धारा 3 (12) के प्रावधान। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि यह बकाया ऋण का निपटान करने के लिए तैयार है

अपीलार्थियों के लिए, जिसे भी नोट किया गया था न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। इसके अलावा, प्रतिवादी और 70 मूल याचिकाकर्ताओं के बीच विवाद का उस समय निपटारा नहीं हुआ था, जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपना आदेश पारित किया था। इसके बावजूद,

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण तदनुसार कार्य करने में विफल रहा धारा 7 (5) (क) के प्रावधानों के साथ और एक

आवेदन स्वीकार करने का आदेश; और

इसके अलावा, अपीलीय प्राधिकरण ने भी गलती की है

((ग)

यह देखते हुए कि धारा 7 के तहत याचिका का निपटारा 'प्रवेश से पहले के चरण' में किया गया था

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट नहीं है कि वित्तीय ऋण बकाया है और चूक हुई है, धारा 7 (5) (बी)

यह प्रावधान है कि वह आवेदन को अस्वीकार कर देगा। इस प्रकार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए 'प्रवेश से पहले के चरण' में निपटान करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण ने पक्षकारों को प्रतिवादी के साथ समझौता करने के लिए 'निर्देश' देने में अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम किया है। इस तर्क की पुष्टि करने के लिए, यह आग्रह किया गया है: (अ)

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण आई. बी. सी. कानून के प्राणी हैं-और इसके प्रावधानों से बंधे हैं। इस प्रकार, उनका अधिकार क्षेत्र

आई. बी. सी. के प्रावधानों द्वारा सीमित है; इसलिए, एक बार जब एक स्वीकृत डिफ़ॉल्ट होता है

(ख)

प्रत्यर्थी, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण याचिका को स्वीकार करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य था और उसने स्पष्ट रूप से कार्य किया है

इसके अधिकार क्षेत्र से परे इस आधार पर इसका मनोरंजन नहीं करना कि एक समझौते की संभावना थी। अपीलीय प्राधिकरण ने केवल न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के फैसले पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी है। ऐसा करने में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण ने समानता की अदालतों के रूप में कार्य किया है, जो आई. बी. सी. द्वारा निर्धारित नहीं है। इस प्रस्ताव के समर्थन में, प्रताप टेक्नोक्रेटस (पी) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता रखी गई है।

लिमिटेड और अन्य बनाम। की निगरानी समिति

रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड और अन्य 1313 (" प्रताप टेक्नोक्रेटस ");

ऑनलाइन एससी 569, पैरा 37,47 और 50 नाम और ओआरएस।

वी. एम/एस भारत हाई तकनीकवी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

किसी भी मामले में, 83 याचिकाकर्ताओं में से

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, केवल 13 ने प्रवेश किया था

समझौता। नतीजतन, शेष 70 याचिकाकर्ताओं के साथ कोई समझौता नहीं हुआ। इसके अलावा, यहाँ तक कि वित्तीय लेनदारों का सम्मान जिनके साथ

प्रतिवादी ने एक समझौता किया था,

प्रतिवादी विवादित आदेश के पारित होने से पहले भी समझौते का पालन करने में विफल रहा था;

इसके अलावा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी को सभी व्यक्तिगत दावों का निपटान करने का निर्देश है अपने अधिकार क्षेत्र से परे, एक न्यायिक प्राधिकरण के रूप में नहीं कर सकते हैं

एक याचिका का निपटान करने के निर्देश के साथ निपटान करना विवाद। उच्चतम स्तर पर, एक कार्यवाही हो सकती है

पक्षों को समझौते की संभावना का पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए स्थगित कर दिया गया। वर्तमान मामले में, जैसे कि

चार अवसर दिए गए याचिकाकर्ताओं के साथ विवाद को हल करने के लिए प्रतिवादी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए, एक बार जब पक्ष एक समझौते पर पहुंचने में विफल रहे, तो न्यायिक प्राधिकरण कर्तव्यबद्ध था

केवल गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय करना; और

अंत में, याचिका को स्वीकार करना

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने निपटान के लिए किसी भी संभावना को स्वचालित रूप से रद्द नहीं किया होगा। इस अदालत ने स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. में अपने फैसले में कहा है। वी. भारत संघ और Ors.[1]4 कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक याचिका स्वीकार किए जाने के बाद भी और लेनदारों की समिति 1 के गठन से पहले, पक्षकार विवाद का निपटारा कर सकते हैं। इसके अलावा, सी. ओ. सी. के गठन के बाद भी, आई. बी. सी. की धारा 12 ए एक ऐसी प्रणाली प्रदान करती है जिसके माध्यम से याचिका दायर की जा सकती है।

वापस ले लिया गया (यदि पक्षों को एक समझौते पर पहुंचना था);

ई. आई. बी. सी. में लेनदारों के दो वर्गों की परिकल्पना की गई है-वित्तीय और तर्कसंगत लेनदार। उनके अधिकारों में कुछ मतभेदों को छोड़कर

1 सी. आई. आर. पी. में भूमिका, आई. बी. सी. को समान अधिकार प्रदान करता है

लेनदारों के वर्ग। हालाँकि, [2021] 12 एस. सी. आर. के माध्यम से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवादित निर्णय, अपीलीय प्राधिकरण ने वित्तीय लेनदारों के वर्ग के भीतर एक उप-वर्ग बनाया है

कि आवास परियोजनाओं में आबंटियों के दावों से संबंधित विवादों के समाधान में, उनके अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और परियोजना इकाई/कॉर्पोरेट देनदार को केवल अन्य निवेशकों के कहने पर परिसमापन में नहीं भेजा जाना चाहिए; और

एक के 10 प्रतिशत पात्रों की सीमा आवश्यकता

(v)

मनीष कुमार बनाम में इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। भारत संघ "(" मनीष कुमार ")। तथापि, अनुच्छेद 181 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी आवश्यकता की केवल आवश्यकता है: याचिका स्वीकार करते समय सीमा पर मूल्यांकन किया जाए।

इसलिए, यदि प्रवेश के बाद, वापसी

आवेदनों को प्राथमिकता दी जाती है और 10 प्रतिशत की सीमा है

कम होने पर, यह मूल याचिका की रखरखाव क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, 83 मूल याचिकाकर्ताओं ने 10 प्रतिशत की सीमा को पूरा किया और याचिका को

स्वीकार किए गए हैं।

उपरोक्त प्रस्तुतियों के आधार पर, अपीलकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि

एन. सी. एल. ए. टी. और एन. सी. एल. टी. के आदेशों को दरकिनार कर दिया जाए और आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत मूल याचिका को इसकी स्वीकार्यता पर निर्णय के लिए बहाल किया जाए।

आईबीसी की धारा 7 (5) के तहत।

17. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी यह प्रस्तुत करके प्रतिवाद करता है कि: ((i)

वर्तमान अपील अपीलार्थियों द्वारा खारिज करने के लिए दायर की गई है।

आईबीसी की धारा 7 की प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ। यह आग्रह किया गया है: (ए) धारा 7 के तहत याचिका द्वारा स्थापित किया गया था

स्वयं और 82 अन्य याचिकाकर्ताओं/प्रस्तावित खरीदारों की ओर से प्रथम अपीलार्थी। इनमें से 83 याचिकाकर्ताओं, मूल याचिकाकर्ताओं में से केवल 7 (पहले अपीलार्थी सहित) ने अपील में एन. सी. एल. ए. टी. का दरवाजा खटखटाया। वर्तमान अपील निम्नलिखित व्यक्तियों की ओर से प्रथम अपीलार्थी द्वारा दायर की गई है:

प्रथम से सातवें अपीलार्थी, जो पक्षकार थे

आई.

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष;

16 (2021) 5 एस. सी. सी. 1 मृत्यु और ओ. आर. एस.

वी. मेसर्स भारत हाई टेक लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आठ और नौवें अपीलार्थी, जो नहीं थे

ii.

धारा 7 के तहत मूल याचिका के पक्षकार

लेकिन एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर की थी;

दसवां, ग्यारहवां, पंद्रहवां और सोलहवां

iii.

अपीलार्थी, जो एन. सी. एल. टी. के समक्ष पक्षकार थे

लेकिन एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष नहीं; और

बारहवीं से चौदहवीं और सत्रहवीं

iv.

अपीलार्थी, जो पहले न तो पक्षकार थे

एन. सी. एल. टी. और न ही एन. सी. एल. ए. टी.;

इसके अलावा, संसद ने 28 दिसंबर 2019 से धारा 7 में संशोधन किया है, जिसे मनीष कुमार मामले में इस अदालत के फैसले द्वारा बरकरार रखा गया था। (ऊपर)। संशोधन ने धारा 7 के तहत याचिका दायर करने के लिए सीमा आवश्यकता (10 प्रतिशत या 100 घर खरीदारों की) पेश की है, जिसका उद्देश्य एक कॉर्पोरेट देनदार को लेनदारों के एक अलग समूह द्वारा दिवालिया कार्यवाही में घसीटे जाने से बचाना है।

इस प्रकार, वर्तमान अपील धारा 7 के तहत मूल कार्यवाही की निरंतरता है, सीमा

आवश्यकता को पूरा करना होगा। जाहिर है, वादियों की कम संख्या के साथ, यह पूरा नहीं होता है; और

इसके अलावा, यदि अपीलकर्ताओं को एक नया आवेदन दाखिल करना है

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही या यदि इस स्तर पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष उनकी कार्यवाही बहाल की जाती है, उन्हें अभी भी एक ही वर्ग में 100 लेनदारों या ऐसे लेनदारों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत एक साथ लाने की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करना होगा।

वर्तमान कार्यवाही केवल द्वारा दायर की गई है

लेंट्स टू आर्म-उत्तरदाता को उठाने के बजाय मोड़ेंउन्हें दिए जाने वाले उपहार:

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

प्रथम अपीलार्थी ने की ओर से एक याचिका को प्राथमिकता दी

(अ)

82 घर खरीदार। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने 28 फरवरी 2020 के अपने आदेश में दर्ज किया कि प्रतिवादी ने 1 करोड़ रुपये के भुगतान के बदले 140 निवेशकों के साथ पूरी तरह से समझौता कर लिया था। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि एन. सी. एल. टी. के समक्ष 13 याचिकाकर्ताओं के दावों का निपटारा किया गया था, 40 निपटान की प्रक्रिया में थे और 39 लंबित निपटान थे। यह इस पृष्ठभूमि में था कि एन. सी. एल. टी. ने याचिका का निपटारा किया, विशिष्ट निर्देशों के साथ कि अपीलकर्ता इससे संपर्क कर सकते हैं यदि प्रतिवादी अपने दावों का निपटारा नहीं करता है। तीन महीने;

(ख)

कार्यवाही के निपटारे के बाद भी

एन. सी. एल. टी., प्रतिवादी ने प्रस्तावित खरीदारों के साथ समझौता करना जारी रखा है। हालांकि, कई

अपीलार्थियों के साथ समझौता करने के प्रयास किए गए हैं, कोई भी विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया था

उनके लिए सहमत;

(ग) अपील के लंबित रहने के दौरान, नवंबर 2020 में आठवें, चौदहवें और सोलहवें अपीलार्थियों को सहमत राशि का पूरा भुगतान कर दिया गया है। दसवें, बारहवें, तेरहवें और सत्रहवें अपीलार्थियों के संबंध में, एक समझौता किया गया था और प्रत्यर्थी द्वारा उन्हें चेक सौंपे गए थे, जिन्हें भुनाया नहीं गया है; और ((घ)

प्रत्यर्थी समझौता करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है

प्रस्तावित खरीदारों के साथ, कोविड के कारण अचल संपत्ति उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित होने के बावजूद

19 महामारी; और

प्रत्यर्थी को केवल दिवालिया होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

क्योंकि इसके कुछ कथित लेनदार तैयार नहीं हैं

सुलझाएँ। किसी भी मामले में, अपीलकर्ता केवल सट्टा निवेशक हैं और आई. बी. सी. की धारा 5 (8) (12) के अर्थ के भीतर आबंटित नहीं हैं, और इस प्रकार उनका आई. बी. सी. के तहत कोई दावा नहीं है। आई. बी. सी. की धारा 7।

उपरोक्त परिकल्पना में, यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रक्रिया करते हैं जबकि प्राथमिक ध्यान ई. एस. कृष्णमूर्ति और ओ. आर. एस. पर केंद्रित है।

वी. मेसर्स भारत हाई टेक बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

आई. बी. सी. का उद्देश्य निगमित देनदार का पुनरुद्धार और निरंतरता सुनिश्चित करना और परिसमापन द्वारा निगमित मृत्यु से उसकी रक्षा करना है।

18. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर अब विचार किया जाएगा।

19. शुरू में ही, उत्तरदाता द्वारा वर्तमान के साथ किए गए समझौतों के संबंध में एक तथ्यात्मक प्रश्न है।

याचिकाकर्ता। प्रत्यर्थी ने आरोप लगाया है कि आठवें, चौदहवें और सोलहवें अपीलार्थियों के साथ समझौता किया गया है और सहमत राशि का पूरा भुगतान किया गया है। इसके अलावा, दसवें, बारहवें, तेरहवें और सत्रहवें अपीलार्थियों के साथ समझौता किया गया और उन्हें चेक सौंपे गए हैं, लेकिन उन्हें भुनाया नहीं गया है। हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने ध्यान दिया कि जबकि प्रतिवादी और चौदहवें अपीलार्थी के बीच एक निपटान राशि पर सहमति हुई थी, लेकिन अपील दायर किए जाने से पहले वास्तव में इसका भुगतान कभी नहीं किया गया था। इसके अलावा, वर्तमान अपील दायर करने पर, जब प्रतिवादी ने एक नई निपटान राशि की पेशकश की, तो चौदहवें अपीलार्थी द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। इसी तरह, सोलहवें अपीलार्थी के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। दसवें, बारहवें, तेरहवें और सत्रहवें अपीलार्थियों के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चेक जून 2020 में जारी किए गए थे, लेकिन अक्टूबर 2020 में स्वयं प्रतिवादी ने उन्हें वर्तमान अपील के परिणाम तक उन्हें भुनाने के लिए नहीं कहा। वर्तमान में, अपीलार्थी स्वीकार करते हैं कि प्रतिवादी और आठवें, दसवें और बारहवें अपीलार्थी के बीच अंतिम समझौता हो गया है। इस स्थिति का प्रतिवादी द्वारा विरोध नहीं किया गया है। 20. इस अपील में केंद्रीय सवाल यह है कि क्या एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत अपीलार्थियों की याचिका को 'प्रवेश-पूर्व चरण' में अस्वीकार करने और उन्हें 3 महीने के भीतर प्रतिवादी के साथ समझौता करने का निर्देश देने के अपने दृष्टिकोण में सही थे। आई. बी. सी. की धारा 7 में वित्तीय लेनदार या वित्तीय लेनदारों के एक वर्ग द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत का प्रावधान है। धारा 7, जैसा कि यह 2019 में अपने संशोधनों से पहले थी, नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

" 7. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत वित्तीय लेनदार। (1) एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से, या वित्तीय लेनदार की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

सरकार, किसी निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए पहले आवेदन दायर कर सकती है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण जब एक चूक हुई है:

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, चूक में न केवल आवेदक वित्तीय लेनदार के लिए बल्कि निगमित देनदार के किसी अन्य वित्तीय लेनदार के लिए बकाया वित्तीय ऋण के संबंध में चूक शामिल है।

(2) वित्तीय लेनदार उप-धारा (1) के तहत ऐसे प्रपत्र और तरीके से और उस शुल्क के साथ आवेदन करेगा जो निर्धारित किया जाए।

(3) वित्तीय लेनदार आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा।

(ए) सूचना उपयोगिता के साथ दर्ज किए गए डिफ़ॉल्ट का रिकॉर्ड या ऐसा अन्य रिकॉर्ड या डिफ़ॉल्ट का सबूत जो निर्दिष्ट किया जा सकता है; (बी) एक अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्तावित समाधान पेशेवर का नाम; और

(ग) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी।

उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत आवेदन, आवेदक को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से ऐसी सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अपने आवेदन में दोष को सुधारने के लिए नोटिस देता है। (6) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उप-धारा (5) के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने की तारीख से शुरू होगी।

ई. एस. कृष्णमूर्ति और हमारा। वी. मेसर्स भारत हाई टेक बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

(7) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण सूचित करेगा

(क) उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन वित्तीय

(ख) वित्तीय लेनदार को उप-धारा (5) के खंड (ख) के तहत आदेश, ऐसे ऋण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के सात दिनों के भीतर। आवेदन, जैसा भी मामला हो "।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष "जब कोई चूक हुई हो"। अभिव्यक्ति "डिफ़ॉल्ट" को आई. बी. सी. की धारा 3 (12) में निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है। शर्तें:

“ (12) “ "चूक" का अर्थ है ऋण का भुगतान न करना जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय हो गया हो और

देय है और देनदार या कॉर्पोरेट देनदार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, जैसा कि

मामला हो सकता है; "

ऋण का भुगतान न करने के लिए डिफ़ॉल्ट विज्ञापनों की परिभाषा,

जब वह ऋणी या निगमित ऋणी द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से देय और देय हो गया हो। चूंकि "चूक" की परिभाषा में "ऋण" अभिव्यक्ति शामिल है, इसलिए आई. बी. सी. की धारा 3 (11) के तहत बाद की अभिव्यक्ति की परिभाषा का विज्ञापन करना आवश्यक है:

" (11) " "ऋण" से किसी दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति से देय है और इसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं; इस प्रकार, एक "ऋण" को एक दायित्व या संबंध में एक दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है।

किसी भी व्यक्ति से देय दावे का। इसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं। 22. यदि उपरोक्त मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो वित्तीय लेनदार धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत आवेदन कर सकता है।

निर्धारित, आवश्यक शुल्क के साथ। उप-धारा (3) वित्तीय लेनदार से, अन्य बातों के साथ, सूचना उपयोगिता या ऐसे अन्य रिकॉर्ड या चूक के साक्षय के साथ चूक का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की अपेक्षा करती है जो आवेदन के साथ निर्दिष्ट किया जा सकता है। उप-धारा (4) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, उप-धारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर, किसी सूचना उपयोगिता के रिकॉर्ड से या उप-धारा (3) के तहत वित्तीय लेनदार द्वारा दी गई अन्य जानकारी के आधार पर चूक के अस्तित्व का पता लगाना चाहिए।

23. धारा 7 की उप-धारा (5) दो भागों में शामिल है: खंड (ए), जो पहला भाग है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को स्वीकार करने का अधिकार देता है।

आवेदन जहाँ यह संतुष्ट है कि: (i) चूक हुई है; (ii) उप-धारा (2) के तहत आवेदन पूरा हो गया है; और (iii) प्रस्तावित प्रस्ताव के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

पेशेवर; खंड (बी), जो दूसरा भाग है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार देता है जहां वह संतुष्ट हो। वह: (i) चूक नहीं हुई है; या (ii) उप-धारा (2) के तहत आवेदन अधूरा है; या (iii) प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ एक अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है। उप-धारा (7) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अपने स्वीकृति या अस्वीकृति के आदेश को वित्तीय लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार या वित्तीय लेनदार को, जैसा भी मामला हो, सूचित करना होता है। उप-धारा (6) के अनुसार, सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया उप-धारा (5) के तहत आवेदन के प्रवेश की तारीख से शुरू होती है। इस प्रकार, 180 दिनों की अवधि के भीतर (धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत,

उप-धारा (3) के तहत और विस्तार के अधीन) सी. आई. आर. पी. को पूरा करने की समय सीमा प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन के प्रवेश की तारीख से शुरू होती है।

24. उपबंध के खाली पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि धारा 7 की उप-धारा (5) के खंड (ए) और खंड (बी) दोनों में इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है कि "वह,

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की शक्ति का उल्लेख करते हुए आदेश द्वारा। उप-धारा (5) के खंड (ए) में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, आदेश द्वारा,

आवेदन स्वीकार करना या खंड (ख) में वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार, धारा 7 के तहत एक याचिका में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए कार्रवाई के दो तरीके उपलब्ध हैं। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को या तो उप-धारा (5) के खंड (ए) के तहत आवेदन स्वीकार करना चाहिए या उसे उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत आवेदन को अस्वीकार करना चाहिए। कानून में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए कोई अन्य कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है, बल्कि दो उपलब्ध विकल्पों के लिए है।

25. अभिनव उद्योगों (उपरोक्त) में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने आई. बी. सी. की धारा 7 के दायरे को समझाया है, और कहा है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को केवल यह निर्धारित करना है कि क्या कोई "चूक" हुई है।

ऐसा हुआ है, अर्थात, क्या "ऋण" (जो अभी भी विवादित हो सकता है) देय था और भुगतान नहीं किया गया था। यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की राय है कि एक "चूक" हुई है, तो उसे आवेदन को तब तक स्वीकार करना होगा जब तक कि यह अधूरा न हो। न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन के माध्यम से बोलते हुए, न्यायालय उन्होंने देखा है:

ई एस कृष्णमूर्ति और हमारा। वी. मेसर्स भारत हाई टेक इल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 28. जब प्रक्रिया को गति देने वाले वित्तीय लेनदार की बात आती है,

धारा 7 प्रासंगिक हो जाती है। खंड के स्पष्टीकरण के तहत

7 (1) , एक चूक कॉर्पोरेट देनदार के किसी भी वित्तीय लेनदार के लिए बकाया वित्तीय ऋण के संबंध में है-यह बकाया ऋण होने की आवश्यकता नहीं है

आवेदक वित्तीय लेनदार। धारा 7 (2) के तहत, उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन ऐसे प्रपत्र और तरीके से किया जाना है जो निर्धारित किया गया है, जो हमें दिवाला और दिवालियापन की ओर ले जाता है।

(न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2016। नियम के तहत

4 , आवेदन एक वित्तीय लेनदार द्वारा फॉर्म 1 में आवश्यक दस्तावेजों और अभिलेखों के साथ किया जाता है। फॉर्म 1 5 भागों में एक विस्तृत प्रपत्र है, जिसमें भाग I में आवेदक का विवरण, भाग II में निगमित देनदार का विवरण, भाग III में प्रस्तावित अंतरिम समाधान पेशेवर का विवरण, भाग IV में वित्तीय ऋण का विवरण और दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

भाग 5 में चूक के अभिलेख और साक्षय नियम 4 (3) के तहत, आवेदक को इसके साथ दायर आवेदन की एक प्रति भेजनी है -

निगमित ऋणी के पंजीकृत कार्यालय में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्राधिकरण का निर्णय लेना। वह गति, जिसके भीतर निर्णय देने वाला प्राधिकारी एक चूक के अस्तित्व का पता लगाना है

सूचना उपयोगिता के अभिलेखों से या वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत साक्षय के आधार पर, महत्वपूर्ण है। यह आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यह धारा 7 (5) के स्तर पर है, जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संतुष्ट होना है कि एक चूक हुई है, कि निगमित

ऋणी को यह इंगित करने का अधिकार है कि एक चूक इस अर्थ में नहीं हुई है कि "ऋण", जिसमें एक विवादित दावा भी शामिल हो सकता है, देय नहीं है। ऋण देय नहीं हो सकता है यदि यह कानून या वास्तव में देय नहीं है। निर्णय लेने का क्षण

प्राधिकरण संतुष्ट है कि एक चूक हुई है, आवेदन को तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि यह अधूरा न हो, इस मामले में वह आवेदक को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से नोटिस प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दोष को सुधारने के लिए नोटिस दे सकता है। उप-धारा (7) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी तब वित्तीय लेनदार को पारित आदेश के बारे में सूचित करेगा और

निगमित देनदार को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के 7 दिनों के भीतर

आवेदन, जैसा भी मामला हो।

निगमित ऋणी जो वित्तीय ऋण की चूक करता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को केवल अभिलेखों को देखना है

द्वारा प्रस्तुत सूचना उपयोगिता या अन्य साक्षय

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऋण विवादित है जब तक कि ऋण "देय" है अर्थात देय है जब तक कि किसी कानून द्वारा बाधित न हो।

या अभी तक इस अर्थ में देय नहीं हुआ है कि यह देय है

भविष्य की कोई तारीख। यह केवल तभी साबित होता है जब

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की संतुष्टि कि

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है और नहीं अन्यथा "।

(जोर दिया गया)

26. वर्तमान मामले में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने कहा कि यह

प्रवेश के लिए याचिका को अलग-अलग तारीखों पर सूचीबद्ध किया था और स्थगित कर दिया था

यह, अन्य बातों के साथ-साथ, पक्षों को समझौते की संभावना का पता लगाने की अनुमति देता है। जाहिर है, कार्यवाही शुरू करने वाले सभी मूल याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई समझौता नहीं किया गया था। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने देखा कि 12 फरवरी 2020 की संयुक्त सहमति की शर्तें उसके समक्ष दायर की गई थीं। लेकिन यह सामान्य आधार है कि इन सहमति की शर्तों में उन सभी मूल याचिकाकर्ताओं को शामिल नहीं किया गया था जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष थे। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि 140 निवेशकों के दावों का प्रतिवादी द्वारा पूरी तरह से निपटारा कर दिया गया है। प्रत्यर्थी ने यह भी नोट किया कि मूल याचिकाकर्ताओं के दावों में से जिन्होंने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का रुख किया है, केवल 13 का निपटारा किया गया है, जबकि इसके अनुसार "40 निपटान की प्रक्रिया में हैं और 39 लंबित हैं"। अंततः, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इस आधार पर याचिका पर विचार नहीं किया कि आई. बी. सी. के तहत प्रक्रिया संक्षिप्त है, और यह व्यक्तिगत घर खरीदारों के प्रत्येक दावे का प्रबंधन या निर्णय नहीं ले सकता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि चूंकि निपटान की प्रक्रिया "पूरी गंभीरता से" आगे बढ़ रही है, इसलिए सभी व्यक्तिगत दावों की जांच करने के बजाय, वह प्रतिवादी को सभी मुद्दों को निपटाने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा करेगा।

एक निश्चित समय सीमा के भीतर "गंभीरता से" दावे शेष। तदनुसार याचिका का निपटारा प्रत्यर्थी को शेष दावों का निपटान तीन महीने के भीतर करने का निर्देश देकर किया गया था, और यह कि यदि शेष मूल याचिकाकर्ताओं में से कोई भी निपटान प्रक्रिया से व्यथित है, तो वे कानून के अनुसार फिर से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगे। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा भी बरकरार रखा गया, जिसने इसके निष्कर्षों का समर्थन किया।

ई. एस. कृष्णमूर्ति और हमारा। वी. मेसर्स भारत हाई टेक बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

27. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से आई. बी. सी. की धारा 7 (5) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र की शर्तों के बाहर काम किया है। द एडजुडिकेटिंग

प्राधिकरण को केवल यह सत्यापित करने का अधिकार है कि क्या कोई चूक हुई है या यदि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है। अपने निर्णय के आधार पर, न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण को तब या तो किसी आवेदन को स्वीकार करना चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए। ये कार्रवाई के केवल दो पाठ्यक्रम हैं जो धारा 7 (5) के अनुसार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए खुले हैं। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण किसी पक्ष को किसी विवाद को निपटाने के लिए अपने समक्ष कार्यवाही के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।

28. निस्संदेह, बस्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि

प्रत्यर्थी को तीन महीने के भीतर शेष दावों का निपटान करने का निर्देश देकर और इसे मूल याचिकाकर्ताओं के लिए खुला छोड़ते हुए, धारा 7 के तहत याचिका, जो निपटान प्रक्रिया से व्यथित हैं, कानून के अनुसार नई कार्यवाही शुरू करने के लिए। इस तरह की कार्रवाई पर विचार नहीं किया गया है

आई. बी. सी.

निपटान को प्रोत्साहित करें, वे अदालतों के रूप में कार्य करके उन्हें निर्देशित नहीं कर सकते हैं इक्विटी। प्रताप टेक्नोक्रेटस (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ के माध्यम से बोलते हुए कहा:

" 47. इन निर्णयों ने निर्धारित किया है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र अपने वाणिज्यिक ज्ञान में सी. ओ. सी. के आवश्यक बहुमत द्वारा किए गए व्यावसायिक निर्णय के गुण-दोष पर लागू नहीं हो सकता है। वहाँ भी नहीं है

न्यायनिर्णयन में अवशिष्ट इक्विटी आधारित अधिकार क्षेत्र प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण इस [2021] 12 एस. सी. आर. में हस्तक्षेप करेगा।

निर्णय, जब तक कि यह अन्यथा के अनुरूप है

आई. बी. सी. के प्रावधान और इसके तहत विनियम

अधिनियमन।

50. इसलिए, एक बार आई. बी. सी. की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है पूरा किया, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय

इक्विटी में एक अज्ञात क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार उत्पन्न होता है एक वैधानिक ढांचे के भीतर और उसके उत्पाद के रूप में।"

(जोर दिया गया)

30. अरुण कुमार जगतरामका बनाम। जिंदल स्टील एंड पावर

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने आई. बी. सी. द्वारा बनाए गए ढांचे में न्यायिक हस्तक्षेप के खिलाफ न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों और अपीलीय प्राधिकरण को चेतावनी जारी की। के माध्यम से बोलना

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा:

" 95 ..... हम इस अवसर का उपयोग सावधानी बरतने के लिए करते हैं

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी., न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहे हैं और

आई. बी. सी. के तहत अपीलीय प्राधिकरण, क्रमशः न्यायिक रूप से आई. बी. सी. के तहत परिकल्पित ढांचे में हस्तक्षेप करना। जैसे हम।

निर्णय में पहले उल्लेख किया है, आई. बी. सी. में पेश किया गया था

भारत में दिवाला और दिवालियापन व्यवस्था को सुधारने का आदेश।

इस तरह, यह एक सावधानीपूर्वक विचार और अच्छी तरह से सोचा गया टुकड़ा है कानून जो अतीत की प्रथाओं को दूर करने का प्रयास करता था।

विधायिका भी यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है कि

लगातार संशोधन करके इस कानून की प्रभावशीलता मजबूत बनी हुई है।

यह अपने अनुभव पर आधारित है। नतीजतन, न्यायिक की आवश्यकता है

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. से हस्तक्षेप या नवाचार रखा जाना चाहिए। अपने न्यूनतम स्तर पर और बुनियादी ढांचे को बाधित नहीं करना चाहिए

आई. बी. सी. के सिद्धांत।

31. संक्षेप में जिसे कागजी पुस्तक में जोड़ा गया है, ए

समाधान प्रक्रिया की स्थिति। उक्त कथन नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

18 (2021) 7 एस. सी. सी. 474 ई. एस. कृष्णमूर्ति और ओ. आर. एस. वी. मेसर्स भारत हाई टेक बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एस. आई.

नाम

समझौता

स्वीकृत /

पूर्वनिर्धारित

तिथि

तिथि

पूर्वनिर्धारित

अस्वीकृत।

नहीं।

प्रस्तावित

प्रस्ताव

में

समझौता

ई. एस. कृष्णमूर्ति

1

अस्वीकृत।

एन. ए

हां।

14.12.2019

एन. ए

धवानी संघवी

एन. ए

2

हां।

14.12.2019

अस्वीकृत।

एन. ए

3

सुनील जैन

सितंबर

अस्वीकृत।

एन. ए

हां।

एन. ए

2019

तब स्वीकार किया गया

मई 2019

4

लक्ष्मीनारायण

एन. ए

हां।

एन. ए

पी. वी.

इसके बाद

अस्वीकार कर दिया गया

56 मिलिंद राका

नहीं।

एन. ए

एन. ए

एन. ए

एन. ए

नितिन पालेकर

नहीं।

एन. ए

एन. ए

एन. ए

एन. ए

7 मैरी थेरेस लीमा

नहीं।

एन. ए

एन. ए

एन. ए

एन. ए

फर्नांडीस

8

शशि अरोड़ा

हां।

30.08.2019

अस्वीकृत।

एन. ए

एन. ए

अस्वीकृत।

दिसंबर

भुपेश डिंजर

9

एन. ए

एन. ए

हां।

2019

हां।

स्वीकार किया गया।

हां।

10 शैला एस कोठारी

31.10.2019

13.07.2019

11 नेममारा

स्वीकार किया गया।

हां।

24.06.2019

हां।

अगस्त

2018

महादेवन

12 सतीश बतुला

स्वीकार किया गया।

हां।

31.08.2019

हां।

06.07.2018

हां।

30.09.2019

स्वीकार किया गया।

08.03.2018

हां।

13 मयांक गुप्ता

हां।

2019

14 गंगासागर

हां।

02.08.2029

स्वीकार किया गया।

नेमिनाथ हेमाडे

15 मंजुश्री बसु

नहीं (समझौता होने तक नहीं)

एन. ए

एन. ए

एन. ए

इसके बाद प्राप्त हुआ पास

द्वारा आदेश

गुजरते हुए

में से

न्यायनिर्णायक आदेश

द्वारा

प्राधिकरण)

हालाँकि नहीं

चेक

प्रदान किया गया।

16 मधुर वी.

समझौता

नहीं (अब तक नहीं)

एन. ए

एन. ए

एन. ए

इसके बाद प्राप्त किया गया

गुजरने वाला

लिमये

द्वारा आदेश

गुजरते हुए

में से

न्यायनिर्णायक आदेश

द्वारा

प्राधिकरण)

हालाँकि नहीं

चेक

प्रदान किया गया।

जुलाई 2019

स्वीकार किया गया।

सितंबर

17 दीपांकर कांजीलाल

हां।

हां।

2019

उपरोक्त कथन इंगित करता है कि एक समझौते ने स्वीकार किया है

सभी अपीलार्थियों के साथ प्रत्यर्थी द्वारा नहीं पहुँचा गया। इसके अलावा, वर्तमान अपील में, प्रत्यर्थी द्वारा अपने बकाया का भुगतान न करने का दावा करने वाले व्यक्तियों के एक अतिरिक्त समूह की ओर से अभियोग आवेदन भी दायर किए गए हैं।

32. उपरोक्त कारणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश और जो निर्देश अंततः जारी किए गए, वे अधिकार क्षेत्र के त्याग से पीड़ित थे। अपीलीय प्राधिकरण ने यह देखते हुए एक अंतर करने का प्रयास किया कि [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस तथ्य से अवगत हैं कि निपटान के लिए समय सारिणी भी जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इंगित की गई थी, बीत चुकी थी, लेकिन फिर प्रत्यर्थी सहित अचल संपत्ति बाजार पर कोविड-19 महामारी के प्रकोप के प्रभाव को नोट किया। यह स्वीकार करते हुए कि सहमति की शर्तें "कुछ हितधारकों द्वारा दायर की गई थीं, हालांकि सभी व्यापक नहीं हो सकती हैं", अपीलीय प्राधिकरण ने फिर भी अपील को विचारणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। यह अवलोकन कि अपील विचारणीय नहीं थी, गलत है। स्पष्ट रूप से, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा जो उसे सौंपा गया था। इस प्रकार अपील में अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए एक स्पष्ट मामला बनाया गया था, जिसे अपीलीय प्राधिकरण तब प्रयोग करने में विफल रहा। 33. हम इस स्तर पर ध्यान दे सकते हैं कि आईबीसी की धारा 7 के प्रावधानों को 28 दिसंबर से पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया गया है।

2019 2020 के अधिनियम 1 द्वारा। मनीष कुमार (ऊपर) मामले में इस न्यायालय के फैसले में इन प्रावधानों का अर्थ लगाया गया है। चूँकि हम कार्यवाहियों को नए सिरे से विचार के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को वापस करने के लिए इच्छुक हैं, इसलिए इस न्यायालय के लिए किसी अन्य पहलू पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है, सिवाय इसके कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अन्य मुद्दों पर निर्णय लिए बिना याचिका का निपटारा करने में क्या विचार किया।

रखरखाव या गुण। हम पक्षकारों के सभी अधिकारों और तर्कों को खुला छोड़ते हैं जिन पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा आग्रह किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए।

34. हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और सी. पी. (आई. बी.) No.188/बी. बी./2019 में 2020 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 649 और 28 फरवरी 2020 के एन. सी. एल. टी. में एन. सी. एल. ए. टी. के 30 जुलाई 2020 के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर देते हैं। आई. बी. सी. की धारा 7 (यानी, सी. पी. (आई. बी.) संख्या 188/बी. बी./2019) के तहत याचिका को तदनुसार नए सिरे से निपटान के लिए एन. सी. एल. टी. को बहाल किया जाता है।

35. अभियोग आवेदनों का निपटारा किया जाएगा, जिसमें आवेदकों को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष या ऐसे अन्य मंच के समक्ष कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, जिसकी उन्हें सलाह दी जाए।

36. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन